हीरालाल बनाम राजस्थान सरकार वगै0

प्रार्थना–पत्र संख्या : 2024/92

09.10.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी तरन्नुम व श्री ज्ञानेन्द्र सिंह तथा विद्वान पैरोकार सरकार श्री मूलसिंह नायब तहसीलदार लाडपुरा अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी हीरालाल की ओर से उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2005 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जो अपील कमांक कोटा 163/2010 पर दर्ज रजिस्टर की गई। उक्त अपील संख्या कोटा 163/2010 न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.10.2010 द्वारा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.1972 निरस्त किया जाकर आदेश पारित किया कि– "आराजी खसरा न0 1927 रकबा 0.44 हैक्टर अन्य व्यक्ति कालू को आवंटित कर दी गई है जो वर्तमान में आवंटी(कालू) के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है जिसे कम करते हुए शेष भूमि अपीलांट द्वारा पूर्व में कुल विक्रय राशि 7650/– में से 1915/– किश्त राशि तथा 1145/– किश्त राशि एवं 400/–रूपये जमा किये जा चुके है। इस प्रकार जमाशुदा कुल राशि को 7650/– में से कम किया जाकर शेष राशि मय ब्याज पैनाल्टी के नियमानुसार निर्णय की दिनांक से 03 माह के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट जमा करवा देता है तो उक्त भूमि पर अपीलांट को किया गया आवंटन नीलामी आदेश दिनांक 31.12.69 बहाल रखे जाने के आदेश पारित किये जाते है यदि अपीलान्ट उक्त अवधि में उक्त राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उक्त आवंटन आदेश निरस्त समझा जावे।" न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2010 की निगरानी (1643/2011) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.05.2016 के द्वारा स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 19.10.2010 को निरस्त किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.05.2016 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस0बी0 सिविल रिट पीटीशन नम्बर 5897/2016 पेश की गई जिसे दिनांक 19.11.2016 को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी हीरालाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट अपील

संख्या 8/2017 पेश की गई। जिसे माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपने निर्णय दिनांक 25.03.2017 द्वारा स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा को अपीलांट द्वारा जमा की गई राशि को तीन माह की अवधि में प्रार्थी हीरालाल को वापस लौटाये जाने का आदेश प्रदान किया गया। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय दिनांक 25.03.2017 की पालना में प्रार्थी को उक्त राशि लौटाये जाने बाबत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी हीरालाल द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार अप्रार्थी की बहस प्रार्थना–पत्र पर सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 19.10.2010 की पालना में प्रार्थी द्वारा जर्ये चालान संख्या 1195 व 1196 के द्वारा दिनांक 05.01.2011 को कुल 34,808/–रूपये की राशि तहसीलदार लाडपुरा के जर्ये सरकार में नकद जमा करवाई गई थी। माननीय हाईकोर्ट जयपुर डी0बी0 ने अपने निर्णय दिनांक 04.05.2017 में प्रार्थी द्वारा जमा की गई उक्त राशि प्रार्थी को वापस लौटाये जाने हेतु न्यायालय हाजा को आदेशित किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की डी0बी0 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2017 की पालना करवाई जाकर प्रार्थी द्वारा जमा की गई राशि प्रार्थी को नियमानुसार वापस लौटाये जाने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को आदेश प्रदान किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हमे माननीय उच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.05.2017 की पूर्व में जानकारी नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना किए जाने में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल अपील संख्या 8/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी हीरालाल द्वारा जमा की गई राशि को प्रार्थी हीरालाल को वापस लोटाये जाने का आदेश पारित किया है। अप्रार्थी ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.03.2017 को चुनौती दिए जाने का

अंकन हो। अतः हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2017 अंतिम आदेश है जिसकी पालना किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.03.2017 की पालना में प्रार्थी अपीलांट को उक्त राशि लौटाये जाने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी प्रश्नगत राशि प्राप्त करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को आवेदन प्रस्तुत करें। तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की ओर से आवेदन प्राप्त होने पर अविलम्ब माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर के निर्णय दिनांक 25.03.2017 की पालना करते हुए प्रार्थी द्वारा जमा की गई राशि नियमानुसार प्रार्थी को लौटाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/24

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा